फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

धरमी देवी वगै० प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष

[illegible] वगैरह द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 15/2022 सन् 2021

धारा 145 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
7/4/2022	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका धरमी देवी पति टेकन तुरी सा०-बुडाचाँच थाना-बगोदर जिला-गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन देकर जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी बगोदर से मँगाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी बगोदर को स्मार पत्र निर्गत करें। साथ ही अभिलेख दिनांक 19/04/22 को रखें। (हस्ताक्षर) 7/4/22 अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर-सरिया	109 7/4/22

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6/6/2022	प्रथम पक्ष द्वारा द०प्र०सं० की धारा 145 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष (फलजीत मंडल एवं अन्य 8) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी बगोदर से प्रतिवेदन/मंतव्य की मांग की गई थी। थाना प्रभारी बगोदर के ज्ञापांक 1061/22 दिनांक 3/5/22 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि के दखल-कब्जा को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है जिसके कारण इस क्षेत्र में शांति भंग, खून खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 145 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों से दिनांक 12/7/2022 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है। क्यों नहीं पक्ष विशेष के पक्ष में दखल-कब्जा सम्पुष्ट कर दिया जाये। विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा- कुठाँच, खाता नं० 145/15, प्लॉट नं०- 1497/2, रकबा- 1.76 एकड़ चौहद्दी उत्तर- जैना महतो, दक्षिण- ज्ञान महतो, पूरब- रूपलाल कान्हू, पश्चिम- गुली कुरी। [illegible] 6/06 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12/7/2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उप०। To 26/7/22 12/7	
26/7/22	प्रथम पक्ष ओकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनु०। प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि जब्त करने हेतु धारा 146(i) द.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया गया है। जाँच हेतु थाना प्रभारी, बगोदर को भेजें। To 16/08/22 26/7	
16/8/22	प्रथम पक्ष ओकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 30/8/22 को रखें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
30/8/22	प्रथम पक्ष ओकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। To 20/09/22 30/08	
20/9/22	प्रथम पक्ष ओकालतन हाजिर। द्वितीय उपस्थ	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रक्रिया की भूमि पर आवास बना हुआ है तथा द्वितीय पक्ष के सदस्यगण उसमें आवासन कर रहे हैं। आगे बताया गया कि आवासीय परिसर में द. प्र. स. की धारा-145 तहत कार्यवाई नहीं की जा सकती है। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रक्रिया की भूमि आवासीय परिसर है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन मकान बनाया गया है तथा आवेदक अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, अतः यह छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा-46 को भी आकर्षित करता है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के दलील से संतुष्ट होकर आवासीय परिसर होने के कारण वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। प्रथम पक्ष यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं। [signature] 20/09	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.09.20 17:00:31 +05:30
Location: 192.168.1.3